The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 4 | Issue 5 | May 2026
ISSN: 2583-973X (Online), SJIF IF: 5.6
Website: www.theacademic.in

मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन पर 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम का प्रभाव: मंदसौर नगर पालिका परिषद का एक अध्ययन (2020–2025)

*शोधार्थी: गौरव नलवाया

**पर्यवेक्षक: डॉ. सपना मुणत

विभाग: राजनीति विज्ञान विभाग, पाहेर विश्वविद्यालय, उदयपुर

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.20692115

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 28-05-2026

Published: 10-06-2026

Keywords:

74वाँ संशोधन, शहरी स्थानीय निकाय, मध्य प्रदेश, मंदसौर, नगरपालिका शासन, विकेंद्रीकरण

ABSTRACT

74 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 भारत में शहरी स्थानीय शासन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हुआ, क्योंकि इसने नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। प्रस्तुत शोध-पत्र में इस संशोधन के स्थानीय स्वशासन पर प्रभाव का विश्लेषण मध्य प्रदेश के संदर्भ में किया गया है, जिसमें विशेष रूप से 2020 से 2025 की अवधि के दौरान मंदसौर नगर पालिका परिषद का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में संस्थागत परिवर्तनों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय स्वायत्तता तथा कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। निष्कर्षतः यह पाया गया कि यद्यपि इस संशोधन ने जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ किया है, फिर भी प्रभावी शासन के मार्ग में व्यावहारिक सीमाएँ अभी भी विद्यमान हैं।

प्रस्तावना

मंदसौर प्राचीन काल से ही अपनी समृद्ध पुरातात्विक और ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता रहा है। यह मध्यप्रदेश के उज्जैन संभाग में स्थित है और मालवा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भौगोलिक दृष्टि से इसके उत्तर में नीमच, दक्षिण में रतलाम तथा पूर्व और पश्चिम में राजस्थान राज्य स्थित है। यह नगर लगभग 24° 4′ 19.2″ **उत्तरी अक्षांश और** 75° 4′ 8.4″ **पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। नगर के मध्य से प्रवाहित होने वाली शिवना नदी के किनारे प्रसिद्ध भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर स्थित है, जो अपनी अष्टमुखी प्रतिमा के कारण विशेष महत्व रखता है। उल्लेखनीय है कि नेपाल के काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में चतुर्मुखी प्रतिमा**

स्थापित है। यहाँ प्रतिवर्ष अक्टूबर और नवंबर माह में मालवा क्षेत्र का प्रसिद्ध कार्तिक मेला बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से मंदसौर को 'दशपुर' के नाम से जाना जाता था। मान्यता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी का संबंध इसी क्षेत्र से था और रावण को 'दशानन' भी कहा जाता था, जिसके आधार पर इस नगर का नाम दशपुर पड़ा। वर्तमान में खानपुरा क्षेत्र में रावण की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है, जिसकी पूजा भी की जाती है। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि पाँचवीं शताब्दी ईस्वी में हूणों ने मंदसौर पर आक्रमण कर इसे अपने अधीन कर लिया था। बाद में छठी शताब्दी में मालवा के राजा यशोधर्मन ने हूणों को पराजित कर पुनः इस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया, जिससे नगर का पुनर्विकास संभव हुआ। इस विजय की स्मृति में शहर के निकट सौंधवी में एक विजय स्तंभ स्थापित है। आर्थिक दृष्टि से भी मंदसौर का विशेष महत्व है। यह जिला स्लेट पेंसिल, अफीम तथा सोयाबीन उत्पादन के लिए मध्यप्रदेश में प्रसिद्ध है, विशेष रूप से स्लेट पेंसिल और अफीम का सर्वाधिक उत्पादन यहीं किया जाता है।

संविधान संशोधन अधिनियम वह औपचारिक तंत्र है जिसके माध्यम से कोई संविधान समाज, राज्य-व्यवस्था तथा शासन की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को अनुकूलित करता है। एक राष्ट्र के सर्वोच्च विधिक दस्तावेज के रूप में संविधान स्थिर नहीं होता, बल्कि उसमें स्थायित्व और लचीलापन दोनों निहित होते हैं। संशोधन की व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल आदर्श सुरक्षित रहते हुए भी संवैधानिक ढाँचा उभरती चुनौतियों तथा परिवर्तित सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के प्रति प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया कर सके। इस प्रकार, संविधान संशोधन अधिनियम संवैधानिक शासन की प्रासंगिकता और जीवंतता बनाए रखने का एक अनिवार्य साधन है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कठोरता और लचीलेपन के बीच संतुलन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत निहित यह प्रक्रिया संसद में विशेष बहुमत तथा कुछ मामलों में राज्यों की स्वीकृति की अपेक्षा करती है, जिससे संघीय ढाँचे को सुदृढ़ता मिलती है। यह संरचित प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि संशोधन जल्दबाजी में न होकर विचार-विमर्श, सहमति और लोकतांत्रिक वैधता के आधार पर संपन्न हों। साथ ही, संशोधन की शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन भी रहती है, विशेषकर "मूल संरचना सिद्धांत" के माध्यम से, जो संविधान के मूल तत्वों को किसी भी प्रकार के परिवर्तन से सुरक्षित रखता है।

इस प्रकार, संविधान संशोधन अधिनियम की अवधारणा भारत में महत्वपूर्ण विधायी परिवर्तनों को समझने के लिए एक सैद्धांतिक और संस्थागत आधार प्रदान करती है। शासन में सुधारों का कोई भी विश्लेषण, विशेष रूप से वे सुधार जो विकेंद्रीकरण और स्थानीय संस्थाओं के सशक्तिकरण से संबंधित हैं, इसी व्यापक संवैधानिक संदर्भ में किया जाना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अध्ययन स्थानीय स्वशासन पर संवैधानिक संशोधनों के प्रभाव का परीक्षण करता है।

मंदसौर नगर पालिका का प्रारंभिक गठन 7 दिसम्बर 1895 को ग्वालियर रियासत के अधीन जिला मुख्यालय पर किया गया था। उस समय इसे 'टाउन कमेटी' के नाम से जाना जाता था। बाद में वर्ष 1909 में ग्वालियर रियासत द्वारा टाउन कमेटी अधिनियम लागू कर इन संस्थाओं के ढांचे को व्यवस्थित किया गया तथा 1911 में ग्वालियर म्युनिसिपल एक्ट लागू किया गया। 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, जो 1993 में लागू हुआ, ने भारतीय संविधान में भाग IX-A को जोड़ा और शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक संवैधानिक ढाँचा प्रदान किया। इसका उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक सहभागिता को सुदृढ़ बनाना था। इस संशोधन ने नगरपालिकाओं को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में मान्यता दी तथा नियमित चुनाव, सीटों में आरक्षण और वित्तीय विकेंद्रीकरण को अनिवार्य बनाया। मध्य प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य ने इस संशोधन के प्रावधानों को राज्यीय कानूनों के माध्यम से अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप मंदसौर सहित विभिन्न शहरों और नगरों में नगरपालिका शासन संरचनाएँ अधिक सुदृढ़ हुईं।

मध्य प्रदेश में शहरी शासन एक संगठित किंतु निरंतर विकसित होता हुआ स्थानीय स्वशासन तंत्र है, जो संवैधानिक प्रावधानों और राज्य-स्तरीय प्रशासनिक सुधारों से प्रभावित है। राज्य की शहरी प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः शहरी स्थानीय निकायों के नेटवर्क के माध्यम से संचालित होती है, जो विकेंद्रीकृत शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं। इनमें बड़े शहरों के लिए नगर निगम, मध्यम आकार के नगरों के लिए नगर पालिका परिषद, तथा संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए नगर पंचायतें शामिल हैं। ऐसे निकायों की बढ़ती संख्या शहरीकरण के विस्तार और स्थानीय स्तर पर शासन की बढ़ती आवश्यकता को दर्शाती है। यह संस्थागत ढाँचा जमीनी स्तर पर नागरिक सुविधाओं के प्रावधान और विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए आधार प्रदान करता है (मध्य प्रदेश शासन; माथुर 45)।

इन शहरी निकायों का संचालन शहरी विकास एवं आवास विभाग के व्यापक पर्यवेक्षण में होता है, जबकि नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय राज्य सरकार और स्थानीय संस्थाओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक नगरपालिका को वार्डों में विभाजित किया जाता है, जिनका प्रतिनिधित्व निर्वाचित पार्षद करते हैं, जबकि महापौर या अध्यक्ष राजनीतिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक सहभागिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रशासनिक समन्वय को भी बनाए रखती है। यह प्रणाली स्पष्ट रूप से 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत परिकल्पित विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को प्रभावी स्वशासी इकाइयों के रूप में सशक्त बनाना था (शर्मा 112; सिवारामकृष्णन 89)।

कार्यात्मक दृष्टि से मध्य प्रदेश में शहरी शासन अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों को समाहित करता है, जिनमें शहरी नियोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अवसंरचना विकास तथा जनस्वास्थ्य शामिल हैं। ये कार्य संविधान की बारहवीं अनुसूची तथा राज्य के नगरपालिका कानूनों के अनुसार संचालित होते हैं। तथापि, तीव्र

शहरीकरण ने इन निकायों पर अत्यधिक दबाव डाला है, जिससे वित्तीय संसाधनों, तकनीकी क्षमता और संस्थागत दक्षता की सीमाएँ उजागर हुई हैं। विद्वानों ने यह भी इंगित किया है कि यद्यपि विकेंद्रीकरण को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, परंतु उसका व्यावहारिक क्रियान्वयन राज्यों में समान रूप से प्रभावी नहीं है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है (अहलूवालिया 134) ।

हाल के वर्षों में राज्य ने शहरी शासन के आधुनिकीकरण हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी के समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण पहलें की हैं। ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म जैसे ई-नगरपालिका 2.0 की शुरुआत ने पारदर्शिता बढ़ाने, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा नागरिकों की सेवाओं तक पहुँच को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। विभिन्न नगरपालिका कार्यों को एकीकृत डिजिटल प्रणाली में सम्मिलित कर राज्य ने दक्षता और जवाबदेही के बीच अंतर को कम करने का प्रयास किया है। यह पहल पारंपरिक प्रशासनिक मॉडल से तकनीक-आधारित शासन की ओर संक्रमण को दर्शाती है (मध्य प्रदेश शासन; विश्व बैंक 56)।

इन प्रगतियों के बावजूद मध्य प्रदेश में शहरी शासन अभी भी कई संरचनात्मक और परिचालन संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है। राज्य और केंद्र सरकार पर वित्तीय निर्भरता स्थानीय निकायों की स्वायत्तता को सीमित करती है, जबकि अपर्याप्त मानव संसाधन और तकनीकी विशेषज्ञता विकास परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक हस्तक्षेप, कार्यान्वयन में विलंब और संसाधनों का असमान वितरण नगरपालिका संस्थाओं के कार्य को और जटिल बनाते हैं। इसके बावजूद, चल रहे सुधार इस प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निरंतर प्रयासों को भी दर्शाते हैं (राव एवं सिंह 78)।

समग्रतः, मध्य प्रदेश में शहरी शासन संवैधानिक आदर्शों, प्रशासनिक संरचनाओं और व्यावहारिक वास्तविकताओं के बीच एक गतिशील अंतःक्रिया को प्रतिबिंबित करता है। यद्यपि संस्थागत ढाँचा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अनुरूप स्थापित हो चुका है, इसकी प्रभावशीलता वित्तीय सुदृढ़ता, प्रशासनिक दक्षता तथा नागरिक सहभागिता को बढ़ाने के निरंतर प्रयासों पर निर्भर करती है। यही विकसित होती हुई पृष्ठभूमि मंदसौर नगर पालिका परिषद जैसे विशिष्ट शहरी निकायों के कार्यकलापों के विश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करती है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य 74वें संविधान संशोधन के शहरी शासन पर संरचनात्मक एवं कार्यात्मक प्रभाव का विश्लेषण करना है, विशेष रूप से मध्य प्रदेश के संदर्भ में। इसके साथ ही, वर्ष 2020 से 2025 की अवधि के दौरान मंदसौर नगर पालिका परिषद के कार्यकलापों, प्रशासनिक दक्षता तथा सेवा प्रदाय व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन करना भी इस शोध का प्रमुख उद्देश्य है।

शोध पद्धति

यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। इसमें द्वितीयक स्रोतों जैसे सरकारी प्रतिवेदन, संवैधानिक प्रावधानों तथा विभिन्न शोध अध्ययनों का उपयोग किया गया है। मंदसौर नगर पालिका परिषद के कार्यों और कार्यप्रणाली का विश्लेषण करने के लिए केस स्टडी पद्धति को अपनाया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर शासन की वास्तविक स्थिति का सम्यक् आकलन किया जा सके।

74वें संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ

74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शहरी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु कई महत्वपूर्ण प्रावधान प्रस्तुत किए। इस अधिनियम के माध्यम से नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिससे उन्हें स्थायित्व और वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। इसके साथ ही, शहरी क्षेत्रों के प्रशासन हेतु तीन प्रकार के निकायों—नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम—की स्थापना का प्रावधान किया गया।

नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम मिलकर भारत में शहरी स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय संरचना का निर्माण करते हैं, जैसा कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में परिकल्पित किया गया है। ये संस्थाएँ शहरी क्षेत्रों के विभिन्न विकास स्तरों के अनुरूप उनकी प्रशासनिक एवं विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित की गई हैं, जिससे शासन अधिक प्रभावी, लचीला और परिस्थिति-विशिष्ट बन सके।

नगर पंचायत उन क्षेत्रों में स्थापित की जाती है जो ग्रामीण से शहरी स्वरूप की ओर संक्रमण की अवस्था में होते हैं। यह एक मध्यवर्ती शासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, जहाँ ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार की विशेषताएँ विद्यमान होती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य नियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देना तथा सड़कों, स्वच्छता, जल आपूर्ति और प्रकाश व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास करना है। मध्य प्रदेश में नगर पंचायतें छोटे कस्बों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो धीरे-धीरे जनसंख्या और आर्थिक दृष्टि से विकसित हो रहे हैं (शर्मा 118)।

नगर पालिका परिषद, जिसे सामान्यतः नगर पालिका कहा जाता है, उन छोटे एवं मध्यम आकार के शहरी क्षेत्रों के लिए गठित की जाती है जहाँ जनसंख्या घनत्व और आर्थिक गतिविधियाँ एक निश्चित स्तर तक पहुँच चुकी होती हैं, परंतु वे बड़े शहरों की श्रेणी में नहीं आते। ये परिषदें नगर पंचायतों की तुलना में अधिक विस्तृत कार्यों का निर्वहन करती हैं, जिनमें शहरी नियोजन, जनस्वास्थ्य, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा भूमि उपयोग का नियमन शामिल है। इनका प्रशासन निर्वाचित पार्षदों द्वारा संचालित होता है, जिनका नेतृत्व अध्यक्ष करता है। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में नगर पालिका परिषदें क्षेत्रीय विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती हैं (माथुर 63)।

नगर निगम बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए स्थापित किए जाते हैं, जहाँ जनसंख्या अधिक होती है और प्रशासनिक आवश्यकताएँ जटिल होती हैं। इन निकायों के पास अपेक्षाकृत अधिक अधिकार, संसाधन और प्रशासनिक क्षमता होती है। ये व्यापक स्तर पर शहरी शासन का संचालन करते हैं, जिसमें अवसंरचना विकास, परिवहन व्यवस्था, पर्यावरण प्रबंधन तथा बड़े विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन शामिल होता है। नगर निगमों का नेतृत्व प्रायः महापौर द्वारा किया जाता है, जिनके साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की एक सुदृढ़ प्रणाली कार्य करती है। मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में नगर निगम तीव्र शहरीकरण के प्रबंधन और सतत विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं (सिवारामकृष्णन 102) ।

इन तीनों प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय मिलकर विकेंद्रीकृत शासन की उस अवधारणा को साकार करते हैं जो संविधान में निहित है। ये राज्य को शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या, आकार और विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुसार प्रशासनिक ढाँचा निर्धारित करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे दक्षता, उत्तरदायित्व और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा मिलता है। इसके अतिरिक्त, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने यह सुनिश्चित किया कि नगरपालिकाओं के चुनाव प्रत्येक पाँच वर्ष में नियमित रूप से आयोजित हों। इसने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया, जिससे सामाजिक समावेशन को बढ़ावा मिला। साथ ही, राज्य निर्वाचन आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया, ताकि प्रशासनिक स्वायत्तता और वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ किया जा सके । इस अधिनियम के अंतर्गत संविधान में बारहवीं अनुसूची को भी जोड़ा गया, जिसमें 18 प्रमुख कार्यों का उल्लेख किया गया है, जैसे शहरी नियोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता आदि। इन सभी प्रावधानों का उद्देश्य नगरपालिकाओं को स्थानीय स्वशासन की प्रभावी संस्थाओं के रूप में विकसित करना था, जिससे वे अपने-अपने क्षेत्रों में सुशासन और विकास को सुनिश्चित कर सकें।

मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन पर प्रभाव

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण

74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने प्रत्यक्ष चुनावों और स्थानीय प्रतिनिधित्व के माध्यम से लोकतांत्रिक भागीदारी को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया। इसके परिणामस्वरूप नागरिकों को निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में अधिक प्रभावी भूमिका प्राप्त हुई, जिससे शासन अधिक सहभागी और उत्तरदायी बना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का तात्पर्य उस व्यवस्थित प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत राजनीतिक शक्ति, प्रशासनिक अधिकार तथा वित्तीय उत्तरदायित्व को उच्च स्तर की सरकारों से हटाकर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित स्थानीय संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाता है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब निर्णय लेने की शक्ति जनता के निकट स्थित संस्थाओं को दी जाती है, तब शासन अधिक संवेदनशील, पारदर्शी और प्रभावी बनता है।

भारतीय संदर्भ में, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई, जिसने ग्रामीण और शहरी स्थानीय शासन को संस्थागत रूप प्रदान किया। इन संशोधनों ने नियमित चुनावों की अनिवार्यता, आरक्षण के माध्यम से वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व तथा राज्य निर्वाचन आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की स्थापना सुनिश्चित की। परिणामस्वरूप, स्थानीय निकाय अब केवल राज्य सरकार के प्रशासनिक अंग न रहकर स्वायत्त इकाइयों के रूप में उभरे हैं, जिनके अधिकार और दायित्व स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में यह परिवर्तन विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है, जहाँ स्थानीय संस्थाएँ जमीनी स्तर पर शासन की आधारशिला बन गई हैं।

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तीन प्रमुख आयामों—राजनीतिक, प्रशासनिक और वित्तीय—पर आधारित है। राजनीतिक विकेंद्रीकरण नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करता है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण स्थानीय निकायों को योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन का अधिकार प्रदान करता है। वित्तीय विकेंद्रीकरण इन संस्थाओं को पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, जिससे वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से संपादित कर सकें। इन तीनों आयामों के संतुलित संचालन पर ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सफलता निर्भर करती है।

सैद्धांतिक दृष्टि से यह प्रक्रिया पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाती है, नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करती है तथा विकास को अधिक समावेशी बनाती है। तथापि, इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन में वित्तीय सीमाएँ, प्रशासनिक क्षमता की कमी तथा राजनीतिक हस्तक्षेप जैसी चुनौतियाँ सामने आती हैं, जो इसकी पूर्ण प्रभावशीलता को बाधित कर सकती हैं।

संस्थागत सुदृढ़ीकरण

मध्य प्रदेश में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात नगर निकायों को प्राप्त संवैधानिक मान्यता ने शहरी शासन की प्रकृति को मूलतः परिवर्तित कर दिया। इससे पूर्व नगरपालिकाएँ मुख्यतः राज्य प्रशासन के विस्तार के रूप में कार्य करती थीं, जिनकी शक्तियाँ और अस्तित्व राज्य सरकार की इच्छानुसार परिवर्तित हो सकते थे। इस स्थिति में उनकी स्वायत्तता सीमित थी तथा वे जनप्रतिनिधि संस्थाओं के रूप में पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती थीं।

संविधान में भाग IX-A के समावेशन के पश्चात नगर निकायों को एक स्पष्ट संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, जिससे उनकी संरचना, कार्यकाल और कार्यक्षेत्र स्थायित्व एवं विधिक सुरक्षा के अंतर्गत आ गए। मध्य प्रदेश में इस परिवर्तन के फलस्वरूप राज्य के नगरपालिका कानूनों को संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप संशोधित किया गया, जिससे शहरी शासन का एक अधिक सुसंगत एवं स्थिर ढाँचा विकसित हुआ। बारहवीं अनुसूची के माध्यम से

नगरपालिकाओं के कार्यों का स्पष्ट निर्धारण किया गया, जिसमें शहरी नियोजन, जनस्वास्थ्य, स्वच्छता तथा अवसंरचना विकास जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

इस संवैधानिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण परिणाम राज्य सरकार के मनमाने नियंत्रण में कमी के रूप में सामने आया। पाँच वर्ष में नियमित चुनावों की अनिवार्यता ने निर्वाचित निकायों को स्थायित्व प्रदान किया, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना ने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र बनाया। इससे शहरी शासन में लोकतांत्रिक मूल्यों की सुदृढ़ स्थापना हुई।

हालाँकि, राज्य सरकार का प्रभाव पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। वित्तीय निर्भरता, प्रशासनिक नियंत्रण तथा राजनीतिक परिस्थितियाँ अभी भी नगर निकायों के कार्यकलापों को प्रभावित करती हैं। फिर भी, यह परिवर्तन शहरी स्थानीय शासन के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने नगरपालिकाओं को अधिक वैधता, स्थायित्व और कार्यक्षमता प्रदान की है।

वित्तीय सशक्तिकरण

राज्य वित्त आयोगों की स्थापना ने मध्य प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम प्रदान किया। इन आयोगों का उद्देश्य राज्य और स्थानीय निकायों के बीच संसाधनों के वितरण के लिए एक व्यवस्थित एवं न्यायसंगत ढाँचा विकसित करना था। इसके परिणामस्वरूप नगरपालिकाओं को करों के हिस्से, अनुदान तथा अन्य वित्तीय स्रोतों के माध्यम से अधिक नियमित एवं संरचित वित्तीय सहायता प्राप्त होने लगी।

इसके साथ ही, स्थानीय स्तर पर संसाधनों के सृजन को भी प्रोत्साहित किया गया, जैसे संपत्ति कर, उपयोग शुल्क एवं लाइसेंस शुल्क। यह प्रयास नगर निकायों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण था। तथापि, वास्तविकता यह है कि अधिकांश नगरपालिकाएँ अब भी राज्य एवं केंद्र सरकार के अनुदानों पर निर्भर हैं। सीमित कराधान क्षमता, राजस्व संग्रहण में अक्षमता तथा सामाजिक-आर्थिक बाधाएँ वित्तीय स्वायत्तता को सीमित करती हैं। इस प्रकार, यद्यपि वित्तीय सशक्तिकरण के लिए एक सुदृढ़ संवैधानिक ढाँचा उपलब्ध है, उसकी व्यावहारिक प्रभावशीलता अभी भी आंशिक रूप से ही परिलक्षित होती है।

सामाजिक समावेशन

74वें संविधान संशोधन अधिनियम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान ने नगर निकायों की सामाजिक संरचना को अधिक व्यापक और प्रतिनिधिक बनाया है। मध्य प्रदेश में इस नीति के परिणामस्वरूप

वंचित वर्गों की निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में भागीदारी सुनिश्चित हुई है, जिससे शासन अधिक न्यायसंगत और समावेशी बना है।

विशेष रूप से महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने शासन के स्वरूप को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इससे स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा और सामुदायिक कल्याण जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित हुआ है। इसी प्रकार, अन्य वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व ने संसाधनों के अधिक समान वितरण को प्रोत्साहित किया है। हालाँकि, सामाजिक बाधाएँ, अनुभव की कमी तथा कभी-कभी प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व जैसी समस्याएँ अभी भी विद्यमान हैं, फिर भी यह स्पष्ट है कि आरक्षण नीति ने शहरी शासन को अधिक लोकतांत्रिक और समावेशी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

प्रशासनिक सुधार

74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने नगरपालिकाओं के कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए प्रशासनिक सुधारों को भी प्रोत्साहित किया। मध्य प्रदेश में नगर निकायों ने शहरी नियोजन, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति तथा जनस्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अपनी भूमिका को अधिक सक्रिय रूप से निभाना प्रारंभ किया है। इन सुधारों के अंतर्गत आधुनिक प्रशासनिक पद्धतियों का भी समावेश हुआ है, जैसे ई-गवर्नेंस का उपयोग, अभिलेख प्रबंधन में सुधार तथा विभागीय समन्वय। इससे सेवा वितरण की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनी है।

फिर भी, मानव संसाधनों की कमी, तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव तथा प्रशासनिक विलंब जैसी समस्याएँ अब भी नगर प्रशासन की दक्षता को प्रभावित करती हैं। अतः प्रशासनिक सुधारों की दिशा में निरंतर प्रयासों की आवश्यकता बनी हुई है।

केस अध्ययन: नगर पालिका परिषद मंदसौर (2020–2025)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

मंदसौर नगर पालिका परिषद का विकास विभिन्न विधिक प्रावधानों के अंतर्गत हुआ है, जिनमें मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 प्रमुख है। इसने इसे एक स्थायी शहरी स्थानीय निकाय के रूप में स्थापित किया है।

शासन संरचना (2020–2025)

वर्ष 2020 से 2025 के मध्य यह परिषद 74वें संविधान संशोधन अधिनियम तथा राज्य के नगरपालिका कानूनों के अंतर्गत कार्यरत रही। इसकी शासन व्यवस्था में विभिन्न वार्डों से निर्वाचित पार्षद शामिल रहे, जिनका नेतृत्व राज्य की नीतियों के अनुसार निर्धारित किया गया।

प्रमुख विकास

इस अवधि के दौरान शहरी अवसंरचना में सुधार, विशेष रूप से सड़कों और स्वच्छता व्यवस्था में प्रगति देखी गई। साथ ही, केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया तथा वार्ड स्तर पर प्रतिनिधित्व के माध्यम से नागरिक सहभागिता में वृद्धि हुई।

प्रमुख चुनौतियाँ

इसके बावजूद, परिषद को वित्तीय स्वायत्तता की कमी, राज्य अनुदानों पर निर्भरता, प्रशासनिक अक्षमताएँ, परियोजनाओं में विलंब, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा तकनीकी विशेषज्ञता की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा।

हाल के नीतिगत परिवर्तन

मध्य प्रदेश में हाल के वर्षों में नगरपालिका नेतृत्व के चुनाव की प्रक्रिया में परिवर्तन देखे गए हैं, जो राज्य स्तर पर शासन की विकसित होती प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं।

निष्कर्ष

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मध्य प्रदेश में शहरी स्थानीय शासन को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाया, संस्थागत ढाँचे को स्थायित्व प्रदान किया तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक संगठित बनाया। तथापि, इसकी पूर्ण प्रभावशीलता वित्तीय एवं प्रशासनिक सीमाओं के कारण बाधित होती है। मंदसौर के संदर्भ में यह देखा गया कि जहाँ एक ओर लोकतांत्रिक सहभागिता में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर दक्षता, स्वायत्तता और संसाधनों के प्रभावी उपयोग से संबंधित चुनौतियाँ अब भी विद्यमान हैं । इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम शहरी शासन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, परंतु इसके लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति के लिए निरंतर सुधार और संस्थागत सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता बनी हुई है।

निष्कर्ष

74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम भारत में शहरी शासन के विकास क्रम में एक निर्णायक मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसने शहरी स्थानीय निकायों की स्थिति और कार्यप्रणाली को मूल रूप से पुनर्परिभाषित करते हुए उन्हें संवैधानिक वैधता तथा एक स्पष्ट संस्थागत ढाँचा प्रदान किया। इसके पूर्व नगरपालिका शासन मुख्यतः राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर था, जहाँ अनियमित चुनाव, सीमित स्वायत्तता तथा प्रशासनिक अनिश्चितता जैसी समस्याएँ प्रचलित थीं। इस संशोधन ने इन प्रवृत्तियों को परिवर्तित करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को संविधान के दायरे में समाहित किया और उन्हें स्वशासन की स्थायी संस्थाओं के रूप में स्थापित किया, जिनके अधिकार, दायित्व और संरचनात्मक सुरक्षा स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं। इस परिवर्तन ने न केवल शहरी शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप को सुदृढ़ किया, बल्कि नगरपालिकाओं को शासन व्यवस्था के एक अनिवार्य अंग के रूप में स्थापित किया।

मध्य प्रदेश के संदर्भ में इस संवैधानिक सुधार का प्रभाव व्यापक और बहुआयामी रहा है। नियमित चुनावों की व्यवस्था, आरक्षण नीतियों का कार्यान्वयन तथा राज्य निर्वाचन आयोग एवं राज्य वित्त आयोग जैसी संस्थाओं की स्थापना ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को गहराई प्रदान की है और नागरिकों की भागीदारी को अधिक व्यापक बनाया है। राज्य के नगर निकायों ने शहरी नियोजन, स्वच्छता, अवसंरचना विकास तथा सार्वजनिक सेवाओं के वितरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रिय भूमिका निभानी प्रारंभ की है, जिससे उनकी कार्यात्मक प्रासंगिकता में वृद्धि हुई है। इस प्रक्रिया ने शासन को अधिक सहभागी, उत्तरदायी और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में योगदान दिया है। वर्ष 2020 से 2025 के मध्य मंदसौर नगर पालिका परिषद का अनुभव इस संवैधानिक व्यवस्था की उपलब्धियों और सीमाओं दोनों का संतुलित चित्र प्रस्तुत करता है। एक ओर, शहरी अवसंरचना में सुधार, नागरिक सहभागिता में वृद्धि तथा विभिन्न विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के रूप में उल्लेखनीय प्रगति देखी जा सकती है। संवैधानिक ढाँचे द्वारा प्रदान की गई संस्थागत स्थिरता ने परिषद को निरंतरता और वैधता के साथ कार्य करने में सक्षम बनाया है। दूसरी ओर, वित्तीय सीमाएँ, प्रशासनिक अक्षमताएँ तथा तकनीकी संसाधनों की कमी जैसी समस्याएँ अब भी इसके प्रभावी संचालन में बाधा उत्पन्न करती हैं।

इसके अतिरिक्त, राजनीतिक हस्तक्षेप का प्रश्न स्थानीय शासन की स्वायत्तता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उभरता है। यद्यपि संवैधानिक प्रावधान नगर निकायों को मनमाने नियंत्रण से संरक्षित करने का प्रयास करते हैं, तथापि व्यावहारिक स्तर पर राजनीतिक प्रक्रियाएँ निर्णय-निर्माण को प्रभावित करती रहती हैं। इससे विकास परियोजनाओं की प्राथमिकताओं, संसाधनों के वितरण तथा प्रशासनिक दक्षता पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण विकेंद्रीकृत शासन की अपेक्षित प्रभावशीलता आंशिक रूप से सीमित हो जाती है।

मध्य प्रदेश में शहरी शासन की पूर्ण क्षमता को साकार करने के लिए आवश्यक है कि इन संरचनात्मक और कार्यात्मक चुनौतियों का समाधान किया जाए। वित्तीय स्वायत्तता को सुदृढ़ करने के लिए स्थानीय राजस्व सृजन तंत्रों को विकसित करना और प्रभावी वित्तीय विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही, निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए सतत् क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की आवश्यकता है, जिससे वे जटिल शहरी समस्याओं का प्रभावी समाधान कर सकें। पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करने तथा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप को सीमित करने के लिए संस्थागत तंत्रों को और अधिक मजबूत करना भी अनिवार्य है।

अतः यह निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम भारत में शहरी स्थानीय शासन के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करता है, परंतु इसके उद्देश्यों की पूर्ण प्राप्ति इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार वित्तीय, प्रशासनिक और संस्थागत क्षमताओं को निरंतर सुदृढ़ किया जाता है। मंदसौर नगर पालिका परिषद का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि संवैधानिक प्रावधान अनुकूल परिस्थितियाँ अवश्य निर्मित करते हैं, किंतु उनके वास्तविक परिणाम स्थानीय स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन, संसाधनों की उपलब्धता तथा प्रशासनिक दक्षता पर निर्भर करते हैं। प्रस्तुत अध्ययन, चयनित परिकल्पनाओं के विश्लेषण के आधार पर, यह इंगित करता है कि यद्यपि इस संशोधन ने शहरी शासन को संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ और लोकतांत्रिक बनाया है, तथापि इसके व्यावहारिक परिणाम विभिन्न आयामों में असमान एवं आंशिक रूप से ही परिलक्षित होते हैं।

संदर्भ सूची

अहलूवालिया, आई. जे. (2014). *अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया.* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

भारत सरकार। (1992). *द कॉन्स्टिट्यूशन (सेवंटी-फोर्थ अमेंडमेंट) एक्ट, 1992*. विधि एवं न्याय मंत्रालय।

भारत सरकार। (n.d.). *द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया*।

मध्य प्रदेश सरकार। (1961). *मध्य प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, 1961*।

मध्य प्रदेश सरकार। (2022). *अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स*।

माथुर, ओ. पी. (2011). *इंडिया' स म्युनिसिपल फाइनेंस सिस्टम.* नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी।

राव, एम. जी., एवं सिंह, एन. (2005). *द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ फेडरलिज़्म इन इंडिया.* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

शर्मा, ए. के. (2012). *अर्बन गवर्नेंस इन इंडिया.* रावत पब्लिकेशन्स।

सिवारामकृष्णन, के. सी. (2011). "रिविज़िटिंग द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट." *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली,* 46(31), 89–102।

वर्ल्ड बैंक। (2016). *अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया: चैलेंजेज एंड ऑपर्च्युनिटीज.* वर्ल्ड बैंक पब्लिकेशन्स।